आज पत्रावली पेश हुई
उभय पक्ष उपस्थित। वास्ते बहस दि०
25-8-19 को पेश हो।
उपखण्ड अधिकारी, महुवा

29/8/19 आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित / पी ओ साहब बाहर पधारे हैं। पत्रावली वास्ते बहस दि. 12.9.19 को पेश हो।

12/9/19 आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वास्ते बहस दि० 27-9-19 को पेश हो।
उपखण्ड अधिकारी महुवा (जिला दौसा)

दिनांक 27–9–19

आज पत्रावली पेश हुई । वकील उभय पक्ष उपस्थित। बहस सुनी गयी । पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 09–10–2019 को पेश हो। तब तक अन्त. अस्थाई निषेधाज्ञा की अवधि बढाई जाती है।

उपखण्ड अधिकारी, महुवा

दिनांक 09–10–2019

आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थी सुरेन्द्र पुत्र किशनलाल जाति मीना निवासी गढी पटटी तहसील महवा की ओर से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम गढी पटटी तहसील महवा की

उपखण्ड अधिकारी महुवा (जिला दौसा)

[illegible] 8 की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की आराजी है। [illegible] खातेदारान ने आपसी सहमति से विभाजन कर रखा है तथा उसी अनुसार काबिज काश्त है। बहमी विभाजन के अनुसार सायल व गैरसायल संख्या 1 के हिस्सा में खसरा नम्बर 89 रकबा 0.64 हैक्टयर आया है किन्तु गैरसायल ताकत के बल पर सायल को बेदखल करने पर उतारू है। जबकि सायल के हिस्सा की आराजी से गैरसायलन संख्या 1 व अन्य किसी व्यक्ति का कोई संबंध नही है। गैरसायल दिनांक 10–5–14 को सायल के हिस्सा की आराजी में निर्माण करने लगा जिस पर सायल ने मना किया तो गैरसायल ने एलानिया धमकी दी कि मैं तो ताकत के बल पर निर्माण करूंगा। यदि गैरसायल अपनी धमकी में सफल हो गया तो सायल को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार संभव नहीं है। प्राईमाफेसी केस वसुविधा का सन्तुलन सायल के पक्ष में है। अतः गैरसायल को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

अप्रार्थी की ओर से जबाब प्रस्तुत नहीं करने पर जबाब बन्द किया गया। उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस सुनी गयी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी संवत 2069–72 के अवलोकन से यह पाया जाता है कि ग्राम गढी पटटी तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 22 से 28, 50, 85 से 94 110, 111, 113, 114, 115, 116, 126, 127, कुल किता 26 रकबा 7.10 हैक्टयर में सायल व गैरसायल संख्या 1 सह खातेदार है। सायल की ओर से दावा विभाजन का प्रस्तुत किया गया है जिसमें समस्त खातेदारों का हिस्सानुसार विभाजन होना है। यदि गैरसायल संख्या 1 द्वारा दौराने दावा वादग्रस्त भूमि में किसी विशेष भू भाग पर निर्माण किया जाता है तो सायल के वाद का महत्व ही समाप्त हो जावेगा तथा सायल

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)

न्यायालय मजिस्ट्रेट एवं ...

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

बनाम

मु. सं.

अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

को अपूर्तनीय क्षति होगी एवं पक्षकारों के मध्य अनावयक रूप से मुकदमाबाजी भी बढेगी। ऐसी स्थिति में सायल का प्रार्थना अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य पाया जाता है तथा हम गैरसायल को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करना उचित समझते है।

आदेश

अतः सायल का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीक़ार किया जाकर गैरसायल संख्या 1 को वाद पत्र के निर्णय तक पाबंद किया जाता है कि ग्राम गढी पटटी तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 22 से 28, 50, 85 से 94 110, 111, 113, 114, 115, 116, 126, 127, कुल किता 26 रकबा 7.10 हैक्टयर में किसी प्रकार का निर्माण नहीं करें। सायल के हिस्सा तक उसके कब्जा काश्त में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे। राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर शामिल मूल वाद रहे।

निर्णय आज दिनांक 09–10–2019 को लिखाया जांकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)